

2.9.20 पत्रावली पेशा वकील वादी उपर विचार
 संयुक्त पेशा (सा.का.ली) वरुण विडान अधि-
 वक्ता सुनी। वारस आदेश 2-9-20 को पेशा

उपखण्ड अधिकारी
 रामगंजमण्डी


2.9.20 पत्रावली पेशा। वकील वादी उपस्थित है। वरुण
 विडान अधिवक्ता वादी पर विचार किया।
 दोरान वरुण विडान अधिवक्ता डा. प्रमोद
 तर्का पर सम्यक विचार किया। बाद वरुण
 पत्रावली का आद्योपान्त गहन अवलोकन
 मनन किया।

वादी द्वारा वादपत्र में अंकित तथ्य
 वांछित अनुलोप. अनुलोप है प्रमोद
 इत्यादि पर सम्यक विचार किया गया।

वादी द्वारा वादपत्र प्रमोद का निवेदन
 किया है, कि ग्राम गोधनपुरा की 2मि खसरा
 नम्बर 553 व 540 की 2मि पर वादी
 का नाम शिवलाल पुत्र मंग्या के स्थान पर
 शिवनाथनाथ पुत्र मंगीलाल खरी किया
 जावे।

पुकारा में वादी द्वारा वरुण पत्रा-
 वली ग्राम गोधनपुरा 2001-24 खाता नं०
 360, खाता नं० 60, दाया जति रजिस्ट्रड

विहमपत्र दि० 22.2.73. सब रजिस्ट्रार राम-
 गंजमण्डी, आधार कार्ड नं० 495735411439.
 श्री जति. नगर पानिका राठ मण्डी द्वारा



UEO Bkhar Panchayat की कारो जिले, एवं कर
मिशन ग्राम गौधनपुर) 2004-24 की जिले-
लिपि प्रकृत की गई।

हम रजिस्टर्ड वयनामा वादी द्वारा वादगवा
शुमि साबिक खसरा नम्बर 308 कवा 911/2 र्स र्
911/8 तथा खसरा नं. 396 की 1) शुमि मांग्या पुम
सालगा र्स रि. 22.2.1973 को क्य की गई
की।


आधार कार्ड, नं. 495735411439, कारो पहचान
पत्र विधान सभा क्षेत्र राठ मठी पहचान पत्र
नम्बर UEL0371153, राशन कार्ड, बैंक खाता
आदि में वादी का नाम शिवनालय पुम
मांगीलाल ही है।

हम कार्ड मिशन वादी द्वारा क्ययुदा शुमि
साबिक खसरा नम्बर 308 कवा 911/8 एवं
खसरा नम्बर 396 कवा 1) में हाठ आठ क्यम
240, 243 किला 2 कवा 0.39 हेक्टर पैड किये
0.26, 0.08
गये।

उक्त शुमि हाठ खसरा नम्बर 540 एवं 553
पर वादी का नाम शिवलाल पुम मांग्या र्स
कर दिया है। अन्य खसरा नम्बर 60 पर वादी
का नाम शिवनालय पुम मांगीलाल ही है।

उक्त में यह तय है, कि वादगवा

शुमि साबिक खसरा नम्बर 308 व 396
की शुमि शिवनालय पुम मांगीलाल के
उक्त क्य की गई है।



उप क्य अधिकारी
पंचायती

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर प्रकरण हुकम की में का
---------------	-----------------------------------	--------------------------------------

उक्त भूमि के दाल खसरा नम्बर 540, 553 पर
 किये जाकर शिवलाल के स्थान पर अग्रवि -
 शिवनाथयों पुत्र मांगीलाल के स्थान पर -
 शिवनाथ पुत्र मांग्या दर्ज कर दिया गया है
 उक्त भूरे लेवनीय भूरे हैं, जिस इकाई किया
 जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः दावा वादी स्वीकार किया जाकर यह
 आदेश दिये जाते हैं, कि ग्राम गौधनपुरा की
 भूमि खसरा नं० 540, 553 कित्ता 2 कवा 0.31 हेठ
 पर वादी का नाम शिवलाल पुत्र मांग्या के
 स्थान पर शिवनाथयों पुत्र मांगीलाल
 दर्ज किया जावे। तदनुसार डिही जारी हो।
 पत्रावली बाद लामिन रकमीन कलश सुभा
 होकर कारिल इच्छर हो।

विधायि आज दिनांक 2-9-2020 को
 मेरे द्वारा लिखाया जाकर विद्वत् न्यायालय
 में सुनाया गया।

(Signature)
 (देशल दान)
 J.A.S.
 उपखण्ड अधिकारी
 रामगंजमन्दी



अंतिम डिकरी व मुकद्दमे ~~इतिहास~~

(अंडर 20, रूल 6-7, जाप्ता दीबानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम रामगंजमण्डी

इजलास देशाल दान बनाव द स्टेट ऑफ राजस्थान

शिवनालय

दावा बाबत 88.89.188. R.T. Act. 1955

47

सन् 2020

मुकद्दमा नं.

(I.A.S.)

यह मुकद्दमा आज वास्ते इतिहास कतई रु-रु देशाल दान

हानरी श्रीधनश्याम धाकड़ एडवोकेट मिनजानिव मुद्दई व पेरोका लाल

मिनजानिव मुद्दायलाह पेश होकर, हुकम दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

दावा वादी लीका किया जाऊ वट आदेश रिये जाते हैं कि ग्राम गोखनपुरा
श्री 2 मि ख. नं. 550, 553 किला 2 कवा 0.3 हेक्टर पर वादी नानाम शिवलाल
पुत्र मांग्या के स्थान पर शिवनालय पुत्र मांगीलाल रज किया जावे।

कोर २ मुबालग ५ बाबत ५ फीसदी सालाना आज की तारीख
वर्षा इस मुकद्दमे के मय सूद व शरह ५

के तारीख वसुलयाबी तक ५ को अदा करे।

वसुत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 01 माह 09 2020.

को जारी की गई।

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी
ओहदा रामगंजमण्डी

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाह	रुपया	पै.
स्टाम्प वकालतनामा	2		स्टाम्प वकालतनामा	
स्वाम्प अर्जी	1		स्वाम्प अर्जी	
महनताना वकील पर	-		महनताना वकील पर	
खर्चा गवाहान	-		खर्चा गवाहान	
फीस कमिश्नर	-		फीस कमिश्नर	
बाबत इजराय हु कमानामा	-		बाबत इजराय हु कमानामा	
मुतफारक	-		मुतफारक	
	20		मीजान ...		
	23				

इस डिकरी के जारी पर कुल सर्वा हर दो इरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये विलाया गया हो या नहीं दर्ज करवा

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी